(4)

संख्या–वे0आ0–1–1561/दस–08–36(एम)/08

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3)शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4)निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
(5)निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन,लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2008

बोनस–तदर्थ बोनसः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित : निम्नलिखितः–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1408/दस–2007–30(एम)/2007, दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 ।
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या–7/24/2007/E–III(A) ब्रांच दिनांक 06 सितम्बर, 2008
(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या–7/24/2007/E–III(A) दिनांक 10 अक्टूबर, 2008

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2006–2007 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त कम संख्या–(3) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3— उपर्युक्त क्रम संख्या—(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनकें वेतन का अधिकतम रू0 10500 तक है, को वर्ष 2007—2008 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या—30,4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2008 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:—

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10500/— तक है, को ही अनुमन्य होगी। वेतनमान रू0 6500—10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान के रूप में अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिया हो, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/— तक माना जायेगा, परन्तु रू0 6500—10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000—3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2008 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी ।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम देय धनराशि रू0 3500/—प्रतिमाह की परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियां रू0 3500/— से अधिक थी, उनके लिये तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियां रू0 3500/— प्रतिमाह हैं।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसाकि क्रमशः मूल नियम—9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और मंहगाई भत्ता से होगा, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिये शासनादेश संख्या—वे0आ0—1—2043/दस—93—39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा शासनादेश संख्या—वे0आ0—1—624/दस—93—39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अन्तरिम सहायता क्रमशः रू0 100/— प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/—प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि भत्तों को परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रू0 3500/— प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2008 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 3454 होगी। (रू0 3500X 30/30.4= रू0 3453.95) (पूर्णांकित धनराशि रू0 3454) ।

(7) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्ति की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2007–2008 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।

(8) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के संबंध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

(9) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों,जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2008 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2008 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियां रू0 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4= 1184.21 अर्थात 1184/– पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रू0 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेंगी।

5– सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2008 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2009 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6– बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर–1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगें।

7— उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(बी0एन0 दीक्षित)
सचिव।

संख्या– वे0आ0–1–1561(1)/दस–2008–36(एम)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) । एवं ।। तथा (आडिट) । एवं ।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0भवन, नई दिल्ली।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001,
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
(8) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2, चिकित्सा अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनु0–3, आवास अनुभाग–2 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 ।
(9) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8, 11, 13 और 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1/2, नगर विकास अनुभाग–1, पंचायती राज अनुभाग–1 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग ।
(11) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर ।
(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।
(14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 63 सा0 वित्त–21.10.2008–(1310)–5000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।